

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, अलेवा (जीन्द)

सूचना

क्रमांक: UNCA/2026/7364

दिनांक: 22/07/26

विषय: शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) का "एक छात्र - एक छात्रवृत्ति" से "एक छात्र - अनेक छात्रवृत्तियाँ" ढाँचे में परिवर्तन।

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (छात्रवृत्ति प्रभाग), जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु PM-USP केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना का संचालन करता है, ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रवृत्ति ढाँचे में संशोधन किया है। यह सूचना निदेशक जनरल उच्चतर शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला के ज्ञापन क्रमांक KW (1) 17/42-2022 Sch (2) दिनांक 17.07.2026 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

मुख्य परिवर्तन: पूर्व में लागू "एक छात्र - एक छात्रवृत्ति" ढाँचे को अब "एक छात्र - अनेक छात्रवृत्तियाँ" ढाँचे से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। संशोधित ढाँचे के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी अब एक मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति के साथ-साथ एक से अधिक कल्याण-आधारित छात्रवृत्तियाँ भी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह प्रत्येक योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। यदि कोई विद्यार्थी पहले से किसी कल्याण छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा है, तो उसे उस मेरिट छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा जिसके लिए वह पात्र हो जाता है, तथा इसका विपरीत भी लागू होगा।

आपके लिए इसका अर्थ:

1. यदि आप प्रत्येक योजना की पात्रता पूरी करते हैं, तो आप एक साथ एक मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति के साथ एक से अधिक कल्याण-आधारित छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
2. किसी एक योजना का लाभार्थी होने मात्र से आप उस अन्य योजना के लिए अपात्र नहीं होंगे जिसके लिए आप अन्यथा पात्र हैं।

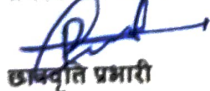
आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें:

1. आपके पहले आवेदन में भरी गई जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी और आगामी आवेदनों में पुनः उपयोग की जाएगी। प्रत्येक अतिरिक्त छात्रवृत्ति हेतु आपको केवल योजना-विशिष्ट (scheme-specific) जानकारी भरनी होगी तथा आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
2. यदि किसी आवेदन को योजना-विशिष्ट कारण से "त्रुटिपूर्ण" (Defective) चिह्नित किया जाता है, तो आप केवल उन्हीं योजना-विशिष्ट विवरणों को संपादित कर सकते हैं। सामान्य, शैक्षणिक, संस्थान अथवा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी में परिवर्तन हेतु पहले आपके सभी जमा किए गए आवेदन वापस लेने होंगे।
3. कृपया सुनिश्चित करें कि पहले आवेदन के समय ही आपकी सामान्य एवं शैक्षणिक जानकारी सही हो, क्योंकि इन विवरणों में कोई कमी आपके सभी आवेदनों को प्रभावित कर सकती है।

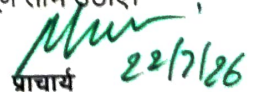
आपसे अपेक्षा है कि:

1. आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in पर जाएँ तथा NIC-NSP द्वारा तैयार किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) अवश्य पढ़ें।
2. जिन-जिन छात्रवृत्तियों हेतु आप पात्र हैं, उन सभी के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करें, ताकि कोई अवसर न छूटे।
3. आवेदन प्रक्रिया संबंधी किसी भी सहायता हेतु महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ / छात्रवृत्ति प्रभारी से संपर्क करें।

समस्त पात्र विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित ढाँचे का संज्ञान लें तथा इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाएँ।


छात्रवृत्ति प्रभारी

राजकीय महाविद्यालय, अलेवा (जीन्द)


प्राचार्य 22/7/26

राजकीय महाविद्यालय, अलेवा (जीन्द)

प्रतिलिपि:

1. महाविद्यालय सूचना पट्ट (Notice Board)
2. महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट
3. कक्षा के व्हाट्सएप समूह एवं समस्त विभागाध्यक्ष (कक्षा में घोषणा हेतु)